

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय
पूर्वी मुद्रण वर्ग
14, वुड स्ट्रीट,
कोलकाता-700016 (प०बं०)
दूरभाष सं०: 033-22876950
फैक्स सं०: 033- 22834694
ई-मेल: epg.kol.soi@gov.in



OFFICE OF DIRECTOR
Eastern Printing Group,
14, Wood Street
Kolkata-700016 (W.B.)
Phone No. 033- 22876950
Fax No. 033- 22834694
E-mail: epg.kol.soi@gov.in

पूर्वी मुद्रण वर्ग, नेमी आदेश सं० 02 /37-G-15(EPGRO) दिनांक 7-03-2019
EASTERN PRINTING GROUP, ROUTINE ORDER NO. 02/37-G-15(EPGRO) DATED 7-03-2019

I. मानचित्रकार डिविजन-I से मुख्य मानचित्रकार के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति हेतु स्थानान्तरण/तैनाती ।

श्रीमती बुलबुल बसु एवं श्री अजय बोस, मानचित्रकार डिविजन-I को मुख्य मानचित्रकार के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-7 में 30-01-2019 से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है ।

Smt. Bulbul Basu and shri Ajoy Bose, Draftsman Div-I are hereby promoted to the post of Chief Draftsman on regular basis with effect from 30-01-2019 in the Pay-matrix Level-7.

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई सतर्कता / अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला या दण्ड प्रक्रिया लम्बित नहीं है ।

Certified that no disciplinary proceeding/vigilance case/punishment are pending against the above Govt. Servant.

2. उपरोक्त कर्मचारी को पदोन्नति पर नये वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ०आर० 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प हेना होगा ।

They are required to exercise an option under Rule F.R. 22(I)(a)(1) for fixation of pay on his promotion in new pay scale (pay matrix).

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-552/1800(1) दिनांक 28-01-2019)

II. एम०ए०सी०पी० योजना के अंतर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के 'कर्मशाला प्रबन्धक' के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-9 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री सुशान्त धर राय	कर्मशाला प्रबन्धक	08-01-2019

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Works Manager of this Directorate is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-9 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Sushanta Dhar Roy	Works Manager	08-01-2019

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-1207/1902-एम०ए०सी०पी० (ग्रुप 'बी Misc)/Coll.I दिनांक 22-02-19)

III. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए तथा वर्तमान में सहायक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री असीम कुमार दास	सहायक	01-02-2018

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Assistant (Promoted from LDC) of this Directorate is granted third Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-7 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Asim Kumar Das	Assistant	01-02-2018

2. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of third Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-974/1902-एम०ए०सी०पी० (मिनिस्ट्रीयल III) दिनांक 15-02-2019)

IV. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को द्वितीय एम०ए०सी०पी० का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी०डी०एन० दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस निदेशालय के ग्रुप 'सी' स्थापना में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुए तथा वर्तमान में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से वेतन मैट्रिक्स में लेवल-5 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एन०ए०सी०पी० योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम	पद	एम०ए०सी०पी० के लाभ की तिथि
1.	श्री सिद्धार्थ शंकर साबुई	प्रवर श्रेणी लिपिक	01-12-2018

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt.(D) dated 19-05-2009, received under DST's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2009, the undermentioned Group 'C' Estt. Assistant (Promoted from LDC) of this Directorate is granted Second Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) in the Pay Matrix in Level-5 with effect from the date as mentioned against his name :-

SL. No.	Name	Designation	Date of Grant of benefit under MACP
1.	Shri Siddhartha Sankar Sabui	U.D.C.	01-12-2018

3. उपरोक्त कर्मचारी को एम०ए०सी०पी० योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर नए वेतनमान (पे मैट्रिक्स) में वेतन निर्धारण हेतु एफ०आर० 22(1)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प देना होगा। इनके वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा।

The above individual is required to exercise an option under Rule FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay for grant of Second Financial upgradation under MACP scheme. The pay of the above individual will be fixed by the Head of Office.

3. इस संबंध में होने वाला व्यय इस निदेशालय के वर्ष 2018-2019 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this office for the year 2018-2019 and debited to appropriate head of account.

(प्राधिकार : भारत के महासर्वेक्षक के पत्र सं० सी-994/1902-एम०ए०सी०पी० (मिनिस्ट्रीयल II) दिनांक 18-02-2019)

V. स्थानान्तरण (TRANSFERRED OUT) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण पर गये :-

The undermentioned officers have relieved from this office on transfer:-

क्र०सं० Sl.No.	नाम एवं पदनाम / Name & Designation	किस कार्यालय पर स्थानान्तरण हुए /Transferred to	स्थानान्तरण की दिनांक /Date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री अमित कुमार बिस्वास, सर्वेक्षक सहायक / Shri Amit Kumar Biswas, Survey Assistant	निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०, कोलकाता / Director, West Bengal & Sikkim GDC, Kolkata	21-02-2019	S.G.'s letter No. सी-1035/707 दिनांक 19-02-19
2.	श्री दीपेश दास, भंडार कीपर ग्रेड-II / Shri Dipesh Das, Store Keeper Gde-II	निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०, कोलकाता / Director, West Bengal & Sikkim GDC, Kolkata	08-01-2019	S.G.'s letter No. स्था०2-84/ 1466- भण्डारपाल दिनांक 04-01-19

VI. स्थानान्तरण पर आये (REPORTED ON TRANSFER) :-

इस केन्द्र में निम्नलिखित कर्मचारी स्थानान्तरण पर उपस्थित हुए :-

The undermentioned employee is reported in this office on transfer :-


क्र०सं० Sl.No.	नाम एवं पदनाम Name & Designation	किस कार्यालय से स्थानान्तरण हुए Transferred from which office	स्थानान्तरण की दिनांक date of transfer	टिप्पणी Remarks
1.	श्री बि० सोम, भण्डारपाल ग्रेड-II / Shri B. Som, Store Keeper Gde-II	निदेशक, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी०डी०सी०, कोलकाता / Director, West Bengal & Sikkim GDC, Kolkata	08-01-2019	S.G.'s letter No. स्था०2-84/1466- भण्डारपाल दिनांक 04-01-19

VII. सेवानिवृत्ति :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शाये गये विवरणनुसार सेवानिवृत्त हुए ।

क्र०सं०	नाम	पद	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री शंकर लाल घोष	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	31-01-2019
2.	श्री गौतम सरदार	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	31-01-2019
3.	श्री बिष्णु रंजन चक्रबर्ती	स्थापना एवं लेखा अधिकारी	28-02-2019
4.	श्री बिकाश कुमार दास	वरिष्ठ रिप्रोग्राफर	28-02-2019

Sl.No.	Name	Designation	Date of Retirement
1.	Shri Shankar Lal Ghosh	Senior Reprographer	31-01-2019
2.	Shri Goutam Sardar	Senior Reprographer	31-01-2019
3.	Shri Bishnu Ranjan Chakraborty	Estt. & Accounts Officer	28-02-2019
4.	Shri Bikash Kumar Das	Senior Reprographer	28-02-2019


(सजय कुमार)

निदेशक

पूर्वी मुद्रण वर्ग, कोलकाता

